



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer
Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों, निदेशालय

(TO BE SUBSTITUTE SAME NO (SOMP-2018/1352-56 DATED 19.01.2018)

CORRIGENDUM

सेवा में

2. सभी उपयुक्त हरियाणा राज्य में।
3. सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरियाणा राज्य में।

यादि क्रमांक: एस0ओ0एम0पी-1-2018/ 3419
दिनांक चण्डीगढ़ 13-2-18

विषय:- रबी तथा खरीफ 2018-19 को फसलों के लिए परिवहन कार्यो हेतु टैण्डर आमंत्रित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर मुख्यालय के पत्र क्रमांक एस0ओ0एम0पी-1-2018/1181-85, दिनांक 17.01.2018 के

सन्दर्भ में।

2. सन्दर्भाधीन पत्र वर्ष 2018-19 के लिए जारी किए गए परिवहन टैण्डर के terms and conditions में निम्न प्रावधान किया गया है:-

हरियाणा राज्य में ट्रक यूनियन खत्म की जा चुकी है, इसलिए वर्ष 2018-19 में विभाग द्वारा लिए जा रहे टैण्डर के निम्नलिखित नियम व शर्त:-

- i) proof (copy of R.C of trucks/vehicles) of physical availability of at least 10 trucks with his e-tendering for the mandies or with agreement of truck union. These trucks should be registered in the name of tenderer. (as per terms and conditions) में बदलाव करते हुए आपको अवगत करवाया जाता है कि :-
- ii) proof (copy of R.C of trucks/vehicles) of physical availability of at least 10 trucks with his e-tendering for the mandies or with agreement of transport company. These trucks should be registered in the name of tenderer. (as per terms and conditions)

नियम एवं शर्तों में किया गया यह प्रवधान Prospective Date से ही प्रभावी समझा जाए। इसके अतिरिक्त जारी की गई अन्य नियम एवं शर्तों यथावत प्रभावी रहेंगी। जिला नियंत्रको को निर्देश दिए जाते हैं कि नियम एवं शर्तों में किए गए उक्त परिवर्तन को सभी सम्बंधित की सूचनाथ वृथावीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करावाएं।

संयुक्त निदेशक (खरीद),

कृत: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामलों विभाग, हरियाणा।



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer
Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

पू० क्रमांक: एस०ओ०एम०पी-1-2018/ 3420 दिनांक चण्डीगढ़ 13-2-18

उपरोक्त की एक प्रति प्रबन्ध निदेशक, एच.डब्ल्यू.सी, हैफेड, हरियाणा एग्री ईण्ड. तथा मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक (खरीद),

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पू० क्रमांक: एस०ओ०एम०पी-1-2018/ 3421 दिनांक चण्डीगढ़ 13-2-18

उपरोक्त की एक प्रति मण्डल आयुक्त, अम्बाला, रोहतक, हिसार एवं गुडगांव को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक (खरीद),

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पू० क्रमांक: एस०ओ०एम०पी-1-2018/ 3422 दिनांक चण्डीगढ़ 13-2-18

उपरोक्त की एक प्रति मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक (खरीद),

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पू० क्रमांक: एस०ओ०एम०पी-1-2018/ 3423 दिनांक चण्डीगढ़ 13-2-18

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को वितायुक्त एवं प्रधान सचिव(खाद्य) एवं निदेशक (खाद्य) के सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. पी.एस/अतिरिक्त मुख्य सचिव, (खाद्य),
2. पी.एस./निदेशक (खाद्य)।

संयुक्त निदेशक (खरीद),

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।